

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अ.स. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 जनवरी 2014—पौष 13, शक 1935

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2013

क्रमांक 1114/817/अव./2013/1-8/स्था.—श्रीमती रेजीना टोप्पो, उप सचिव, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 25-11-2013 से 07-12-2013 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 24-11-2013 एवं 08-12-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

- अवकाश से लौटने पर श्रीमती टोप्पो, आगामी आदेश तक उप सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.
- अवकाश अवधि में श्रीमती टोप्पो को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.
- प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती टोप्पो अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार उक्त पद पर श्री विजय गुरू की, की गई नियुक्ति एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाकर उक्त पद को रिक्त घोषित किया जाता है। तात्कालिक रूप से अध्यक्ष का प्रभार विभाग के सचिव को सौंपा जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्रमांक 3417/पं.ग्रा.वि.वि./22/2013.—राज्य शासन एतद्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा-4 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक 78 दिनांक 8 मार्च, 2006 में प्रकाशित की गई पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1069/वि-3/रा.ग्रा.रो.गा.यो./2006 दिनांक 3 मार्च, 2006 एवं अधिसूचना क्रमांक 448/पं.ग्रा.वि.वि./22/2013 दिनांक 12-02-2013 में संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित करता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पूर्व में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 78 दिनांक 8 मार्च, 2006 अधिसूचना क्रमांक 1069/वि-3/रा.ग्रा.रो.गा.यो./2006 दिनांक 3 मार्च, 2006 एवं अधिसूचना क्रमांक 448/पं.ग्रा.वि.वि./22/2013 दिनांक 12-02-2013 में एतद्वारा निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

1. **योजना की कंडिका 3.5— मजदूरी का भुगतान की उपकंडिका 3.5.1 से 3.5.7 तक के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—**
 - 3.5 **मजदूरी भुगतान—**
 - 3.5.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कार्यरत अकुशल मजदूरों को भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए अधिसूचित संदेय मजदूरी दर पर भुगतान किया जाएगा.
 - 3.5.2 महिला एवं पुरुषों को समान दर पर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा.
 - 3.5.3 मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक अथवा अधिकतम पाक्षिक आधार पर किया जावेगा.
 - 3.5.4 मजदूरी का भुगतान, केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसार कर्मियों के बैंकों या डाकघरों में खोले गए एकल या संयुक्त बचत खाते के माध्यम से किया जाएगा.
 - 3.5.5 क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा मजदूरी भुगतान का विवरण परिवार रोजगार कार्ड में इन्द्राज किया जाएगा.
 - 3.5.6 विभिन्न अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी की दरों की अनुसूची इस प्रकार नियत की जाएगी कि विश्राम के एक घंटे सहित आठ घंटे के लिए काम करने वाला कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतया मजदूरी दर के बराबर मजदूरी उपार्जित कर सके.
 - 3.5.7 किसी व्यस्क कार्यक्रम के कार्यदिवस, जिसके अंतर्गत विश्राम के अंतराल भी हैं, यदि कोई हों, इस प्रकार व्यस्थित किए जाएंगे कि वह किसी दिवस को बारह घंटे से अधिक न हो.

- 3.5.8 योजनांतर्गत मस्टररोल के बंद होने के तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने हेतु भुगतान की प्रत्येक प्रक्रिया हेतु उत्तरदायित्व एवं अधिकतम समय-सीमा निम्नानुसार होगी :—

क्र.	उत्तरदायी अधिकारी/ कर्मचारी का पदनाम	गतिविधियां	निर्धारित कार्य पूर्ण करने हेतु समय-सीमा
1.	तकनीकी सहायक/ उपयंत्री	सप्ताहांत में ग्राम रोजगार सहायक/सचिव से मस्टररोल प्राप्त कर कार्य का निरीक्षण/मूल्यांकन	3 दिन
2.	अनुविभागीय अधिकारी/ सक्षम अधिकारी	कार्य का सत्यापन	4 दिन
3.	सहायक प्रोग्रामर/ कम्प्यूटर ऑपरेटर	मस्टररोल का एम.आई.एस. पर प्रविष्टि एवं मजदूरी भुगतान सूची तैयार करना.	4 दिन
4.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत	श्रमिकों के खातों में राशि जमा करने हेतु चेक/ महात्मा गांधी नरेगा सॉफ्ट के माध्यम से मजदूरी सूची का एफ.टी.ओ. तैयार कर प्रेषित करना.	2 दिन
5.	ई-एफ.एम.एस. का नोडल बैंक	नोडल बैंक को प्राप्त एफ.टी.ओ. को सभी संबंधित बैंकों के मजदूरों के खाते में Credit करते हुए Response file सृजित करना.	2 दिन

3.5.9 मुआवजा :—

- 3.5.9.1 मजदूरी भुगतान में किसी प्रकार का विलंब होता है तो, मजदूरी भुगतान के प्रावधानों के अनुसार कामगार क्षतिपूर्ति के पात्र हैं और क्षतिपूर्ति की लागत राज्य शासन द्वारा वहन की जायेगी. उक्त क्षतिपूर्ति राशि को संबंधित एजेंसियों/अधिकारियों से वसूली कर राज्य शासन के खाते में समायोजन करना होगा.
- 3.5.9.2 यदि मजदूरी की राशि श्रमिकों के खाते में मस्टररोल बंद होने की तारीख से 15 दिन के बाद जमा किया जाता है तो गणना की गई क्षतिपूर्ति का भुगतान भी मजदूरी के साथ-साथ करना होगा जिसके लिए मजदूर को क्षतिपूर्ति हेतु अलग से दावा नहीं करना होगा. इससे संबंधित अधिनियमों के तहत व्यक्ति (मजदूर) के अधिकारों और हक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
- 3.5.9.3 विलंब से किये गये मजदूरी भुगतान पर क्षतिपूर्ति की जानकारी एम.आई.एस. में अलग से प्रदर्शित होगी, जिससे किसी मजदूर को प्रदाय की जा रही कुल राशि के निर्धारण में इसे मजदूरी में जोड़ा जा सके.
- 3.5.9.4 एम.आई.एस. में मजदूरी भुगतान विलंब होने की स्थिति एवं जिम्मेदार एजेंसी/अधिकारी को दर्शाया जायेगा.
- 3.5.9.5 कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा प्रत्येक माह की 05 एवं 20 तारीख को विलंब मजदूरी भुगतान की जानकारी तैयार की जायेगी, जिसमें जिम्मेदार अधिकारियों की सूची एवं अपेक्षित क्षतिपूर्ति राशि संबंधित व्यक्तियों से वसूल किये जाने की अनुशंसा सहित अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (मुख्य कार्यपालन अधिकारी/परियोजना निदेशक, जिला पंचायत) को प्रस्तुत करेगा.

- 3.5.9.6 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (मुख्य कार्यपालन अधिकारी/परियोजना निदेशक, जिला पंचायत) कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत से प्राप्त अनुशंसा एवं जिला स्तर पर विलंब मजदूरी भुगतान की जानकारी को समाहित करते हुए संकलित जानकारी अपनी अनुशंसा सहित दो दिवस के भीतर जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रेषित करेगा।
- 3.5.9.7 प्राप्त अनुशंसा पर समुचित सुनवाई के पश्चात् जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा श्रमिकों के भुगतान में विलंब के लिए जिम्मेदार एजेंसियों/अधिकारियों के विरुद्ध राशि की वसूली के संबंध में 15 दिवस के भीतर आदेश पारित किया जायेगा।
- 3.5.9.8 जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा 15 दिवस के भीतर आदेश पारित नहीं किए जाने की स्थिति में अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (मुख्य कार्यपालन अधिकारी/परियोजना निदेशक, जिला पंचायत) द्वारा की गई अनुशंसा मान्य मानी जावेगी एवं उनके द्वारा आदेश पारित कर संबंधितों को सूचित की जावेगी।
- 3.5.9.9 प्राकृतिक आपदा अथवा ऐसी परिस्थितियां जो उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के नियंत्रण में नहीं होने के फलस्वरूप मजदूरी भुगतान में विलंब होने पर क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।
- 3.5.9.10 जिला कार्यक्रम समन्वयक से मंजूरी मिल जाने पर एजेंसियों/अधिकारियों के वेतन एवं एजेंसियों को भुगतान की जाने वाली राशि से वसूली करने की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाएगी।
- 3.5.9.11 मजदूरी भुगतान में विलंब की स्थिति में मजदूर को उन्हें प्रदाय की जाने वाली भुगतान पर भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा निर्धारित दर से मुआवजे का भुगतान करना होगा।
- 3.5.9.12 जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं कार्यक्रम अधिकारी इन प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे।
- 3.5.10. **अपीलीय प्रावधान :—**
- 3.5.10.1 जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा विलंब से मजदूरी भुगतान के संबंध में क्षतिपूर्ति राशि की वसूली हेतु पारित आदेश के विरुद्ध अपील, संभाग आयुक्त (राजस्व) को की जा सकेगी।
- 3.5.10.2 अपीलीय अधिकारी 30 दिनों के भीतर अपील का निराकरण करेंगे एवं लिखित में अपीलार्थी को सूचित करेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देबाशीष दास, सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्रमांक 3418/पं.ग्रा.वि.वि./22/2013.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3417/पं.ग्रा.वि.वि./22/2013 दिनांक 24-12-2013 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देबाशीष दास, सचिव.

Raipur, the 24th December 2013

No. 3417/पं.ग्रा.वि.वि./22/2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005, hereby, makes the following amendments to the Gazette notification No. 1069/V-3/NREGS/2006 dated 3rd March, 2006, notification No. 448/P&-RD/22/2013, dated 12-02-2013 and notification No. 78 dated 8th March, 2006, published before by Panchayat and Rural Development Department, namely :—

AMENDMENT

1. **Clause 3.5 of the scheme.**— Following words shall be substituted in place of sub-clause 3.5.1 to 3.5.7 of the said clause of the Act, namely :—

3.5 Labour Payment.—

- 3.5.1 The unskilled labours engaged under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in the State, shall be paid as per the labour rate notified in the Official Gazette, from time to time, by the Government of India.
- 3.5.2 Labour Payment to men and women shall be made at equal rate.
- 3.5.3 Labour Payment shall be made weekly or at least fortnightly.
- 3.5.4 Labour payment shall be made through the single or joint saving accounts opened in the banks or post office as per the directions of the Government of India.
- 3.5.5 The details of labour payment shall be entered in the Employment card by the Implementing agency.
- 3.5.6 The Schedule of labour rate for different unskilled labour shall be decided in such manner that any adult person working for eight hours including one resting hour should be able to earn at the equal general labour rate.
- 3.5.7 If there is any adult labour, in whose work days resting period is included, then the same shall be arranged in such manner that his working hours would not be more than twelve hours in any day.
- 3.5.8 To ensure labour payment within fifteen days from the date of closure of the muster roll under the scheme, the maximum time limit for payment process and liabilities shall be as follows :—

No. (1)	Designation of Officer/Employee responsible (2)	Activities (3)	Time-limit for Completion of set work (4)
1.	Technical assistant/ Sub-engineer.	To procure muster roll from village employment assistant/Secretary and to supervision/valuation.	3 days
2.	Sub-divisional officer/ competent authority.	Verification of work.	4 days
3.	Assistant Programmer/ Computer Operator.	To enroll muster roll on MIS. and prepare wage list for labour payment.	4 days
4.	Chief Executive Officer and Program Officer, Jampad Panchayat.	To deposit amount as per labour payment list, prepare Cheque/FTO of the list through the MGNREGA software.	2 days

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Nodal Bank of e-FMS	Nodal Bank on receipt of the FTO shall credit the amount into the labours account in the respective banks and create response file.	2 days

3.5.9 Compensation :—

- 3.5.9.1 For any delay in labour payment to the labour, the labour shall be eligible to receive compensation under the provision and the cost of compensation will be borne by the State Government. Such compensation amount shall be recovered from the concerned agencies/Officers and shall be adjusted in the State Government account.
- 3.5.9.2 If the labour payment is made after fifteen days from the date of closure of the muster roll then the compensation as calculated shall be paid along with labour payment. For such delay in payment the labour need not make any separate claim, this will not affect the right of the person's (labour) under any other related laws.
- 3.5.9.3 The details of compensation information paid due to delay in labour payment shall be displayed on the MIS separately, so that this can be added to the total decided amount to be paid to any labourer.
- 3.5.9.4 The status of delay in labour payment and responsible agency/officer must be shown in the MIS information.
- 3.5.9.5 On 05th and 20th of every month, information regarding delayed labour payment shall be prepared by the Janpad Panchayat Programme officer, such shall list of the responsible officers and anticipated compensation amount to be recovered from responsible persons along with recommendation also must be submitted to Additional District Programme Coordinator (Chief Executive Officer/Project Director, Jila Panchayat).
- 3.5.9.6 The Additional District Programme Coordinator (Chief Executive Officer/Project Director, Jila Panchayat) after compiling district level information of delay in labour payment, along with the information and recommendations received from programme officer, Janpad Panchayat, shall submit the compiled information along with his recommendations to the District Programme Coordinator within two days.
- 3.5.9.7 The District Programme Coordinator shall pass recovery orders within 15 days, after through hearing upon the recommendations of the agencies/officers responsible for the delay in labour payment to the labours.
- 3.5.9.8 In case the orders are not passed by the District Programme Coordinator within 15 days, then the recommendations of Additional District Programme Coordinator (Chief Executive Officer/Project Director, Jila Panchayat) will be taken to be accepted and accordingly orders shall be passed and intimated to the concerned persons.
- 3.5.9.9 Compensation for delay in labour payment due to natural disasters or any likewise conditions which are beyond the control of the responsible officer/employee, shall not be payable.
- 3.5.9.10 Recovery process will start automatically by the orders are issued from District Programme Coordinator from the responsible officer/agencies salaries and the amount to be paid.

3.5.9.11 In case of delay in labour payment, labours shall be paid compensation as per the rate prescribed by the Ministry of Rural Development, Government of India.

3.5.9.12 District Programme Coordinator and Programme officer will be responsible for implementation of these provisions.

3.5.10 Provision of Appeal—

3.5.10.1 An appeal shall be made before Divisional Commissioner (Revenue) against the orders passed by the District Programme Coordinator regarding recovery of compensation amount due to delay in labour payment.

3.5.10.2 The Appellant Authority shall dispose the appeal within 30 days and inform the appellants in written.

By order and in the name of Governor of Chhattisgarh,
DEBASISH DAS, Secretary.

**आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर**

नया रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 7-10/2013/32.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 क की उपधारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 22-3-2013 द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में उपांतरण

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (वर्ग मीटर में)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	लाभाण्डीह प.ह.नं. 113	224/4 का भाग 227/7 का भाग	2557.45 वर्गमीटर 2809.82 वर्गमीटर	मार्ग एम.आर-15 (ए)	आवासीय
		224/1	936.27 वर्गमीटर	मार्ग	आवासीय
		272 से 275 का भाग 223, 273, 274, 275 का भाग	1975 वर्गमीटर	मार्ग	आवासीय
		222	1170.91 वर्गमीटर	मार्ग	आवासीय
		221 का भाग	302.70 वर्गमीटर	मार्ग	शैक्षणिक
		220	610.58 वर्गमीटर	मार्ग	शैक्षणिक
		219	2921.75 वर्गमीटर	मार्ग	शैक्षणिक
		207	86.97 वर्गमीटर	मार्ग	शैक्षणिक